B-2
L-31

संवैधानिक सुधार कार्यक्रम व अधिनियम

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति और भारत पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी अवसंरचनाओं प्रक्रियाओं व व्यवस्थाओं का निर्माण किया जो आधुनिकी-करण का हिस्सा मानी जाती है और इन्ही में से एक महत्वपूर्ण कार्य "पाश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर भारत में संवैधानिक सुधार अधिनियम को लाना और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास करना भी था।

अंग्रेजों ने इसे विभिन्न कारणों से भारत में बढ़ावा दिया -

- अंग्रेजों ने उपयोगितावाद व पितृसत्तावाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर सुधारों को बढ़ावा दिया जिससे की दुनिया में वे अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकें।
- भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया क्योंकि भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने अंग्रेजों को विवश किया कि भारत के साथ उदारवादी संबंध बनाए जाएं।
- अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी इन सुधारों को लाने में प्रेरक भूमिका निभाई उदाहरण स्वरूप 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी या फिर द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों ने अमेरिका के बढ़ते दबाव में

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

क्रमशः 1935 का अधिनियम तथा 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया।

- अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधारों को अपनी फूटडालो और राज करो की रणनीति का हिस्सा बनाया जिसे 1909 के मार्ले-मिंटो एक्ट से समझा जा सकता है।
- तो दूसरी तरफ कुछ ब्रिटिश विद्वानों का यह भी मानना है कि संवैधानिक सुधार कार्यक्रमों को अंग्रेजों ने श्रेष्ठ इच्छा से लागू किया किन्तु गांधी जैसे नेताओं ने इनमें कमियां निकाल कर दबाव समूह के रूप में और अधिक अधिकारों की मांग की।

1773 का नार्थ का रेग्युलेटिंग एक्ट :

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक व्यापारिक इकाई के रूप में भारत प्रवेश तो 17वीं सदी में ही हो चुका था और प्लासी की विजय के बाद वह राजनैतिक इकाई भी बन गई अतः ब्रिटिश सरकार से जो इकाई केवल व्यापारिक अधिकार की इजाजत लेकर आई थी अब उसका " भारत में राजनैतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा अतः ब्रिटिश संसद और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच एक निश्चित संबंधों की आवश्यकता उभरने लगी और इसी सन्दर्भ में 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट लाया गया इसे निम्नलिखित कारकों ने बढ़ावा दिया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform © KHAN SIR

• ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में 12.5 प्रतिशत का लाभ दिखा रही थी जबकि 1765 से 1772 के बीच कम्पनी पर प्रतिवर्ष 4 लाख पौंड का बकाया हो चुका था और इसी समय कम्पनी ने ब्रिटिश संसद से दस लाख पौंड का ऋण मांगा तो कम्पनी को रेग्युलेट करने का ब्रिटिश संसद को सुनहरा अवसर मिल गया।

• बंगाल में द्वैध शासन के दौरान जिस तरह अनैतिक लूट व भ्रष्टाचार किया गया उससे कम्पनी के प्रति ब्रिटेन के अभिजात्य वर्ग में एक नकारात्मक सोच पैदा हुई।

• प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदरअली से मिली शिकस्त तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों ने भी कम्पनी को नियंत्रित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

विशेष :-

इस एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई किन्तु इसकी अधिकारिता में अनिश्चितता बनी रही। इसीलिए बाद में एक संशोधन के द्वारा इसकी अधिकारिता को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि प्रशासकीय कार्यों के लिए ब्रिटिश अधिकारी इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे।

• 1773 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रशासकीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की शुरुआत अवश्य की, किन्तु इसके प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण अनिश्चितता बनी रही और इसी सन्दर्भ में इसे "एक विशाल समुद्र में छोटी नाव की संज्ञा दी गई।

• कम्पनी को निश्चित प्रावधानों से नियंत्रित करने के लिए फॉक्स की गठबंधन सरकार ने इण्डिया बिल प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी के राजनैतिक व व्यापारिक दोनों अधिकारों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया" इस बिल का ब्रिटेन में भारी विरोध हुआ और यहाँ तक कि फॉक्स की सरकार गिर गई" ऐसे में 1784 में जब पिट्स की सरकार बनी तो उसने इण्डिया बिल में चालाकी से परिवर्तन करते हुए केवल राजनैतिक नियंत्रण की बात कही और यह बिल पारित हो गया।

• कम्पनी भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं करेगी।

• 1833 के अधिनियम की धारा 87 में यह प्रावधान किया गया कि सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

• कम्पनी को 20 वर्ष का चार्टर न देकर उसे ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्टी मान लिया गया तथा यह संसद की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह जब चाहे भारतीय शासन को अपने हाथों में ले सकती है।

• 1773 से 1853 तक के अधिनियम औपनिवेशिक शासन के दौरान एक-दूसरे से जुड़े न होकर भी क्रमशः आगे बढ़ते थे, जो कम्पनी पर ब्रिटिश संसद के बढ़ते नियंत्रण का प्रतीक थे। सम्भवतः 1858 के महा-विद्रोह में क्राउन को यह अवसर दे दिया कि जो स्थिति कुछ दिनों के लिए टाली जा सकती थी उसे अब और न टाला जाए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

1909 का मार्ले-मिंटो एक्ट :-

- 1892 के अधिनियम से भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरूआत की गई इसे इस एक्ट के द्वारा और बढ़ा दिया गया महत्वपूर्ण यह था कि न सिर्फ केन्द्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ायी गई बल्कि उनकी अधिकारिता में भी वृद्धि की गई।

- भारतीय सदस्यों को बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने और कुछ विषयों पर आंशिक मतदान का अधिकार दिया गया।

- सरकारी सदस्यों के साथ ही अब गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाना प्रशासन की ओर बढ़ता कदम था।

- वायसराय की कार्यकारिणी में भी भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी अर्थात उच्चतर प्रशासन में भी भारतीयों को शामिल किया जाने लगा।

विशेष :- इस एक्ट की पहचान विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना थी और इस एक्ट ने धार्मिक आधार पर राजनैतिक व्यवस्था की नींव रखकर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करने का प्रयास किया।

विश्लेषण :- 1909 का मार्ले-मिंटो एक्ट भारतीय स्वशासन की ओर बढ़ता हुआ एक प्राथमिक कदम था क्योंकि विधानसभा में न सिर्फ सीटों की

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

संख्या बढ़ायी गई बल्कि भारतीय प्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि भी की गई। सार्वजनिक हित का विषय उठाने, पूरक प्रश्न पूछने, बजट के कुछ प्रावधानों पर वोट देने का अधिकार एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है।

किन्तु वास्तविकता यह थी कि इन सदस्यों को नाममात्र की शक्ति मिली थी। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में -

मात्रात्मक - 69 सदस्यों में से मात्र 13 ही सामान्य निर्वाचन प्रणाली से आते थे तथा शेष 56 सदस्यों का झुकाव सरकार की ओर होना स्वाभाविक ही था अर्थात वे सरकारी सदस्य अधिक थे।

गुणात्मक - इन सदस्यों को प्रश्न पूछने व प्रस्ताव रखने का अधिकार तो मिला किन्तु विशेषत: वोट देने का पर्याप्त अधिकार न दिए जाने से " ये प्रतिनिधि प्रस्ताव तो ला सकते थे किन्तु कानून नहीं बना सकते थे " इसी सन्दर्भ में कहा गया कि मार्ले-मिंटो अधिनियम ने न तो भारतीयों की स्थिति में सुधार किया और न ही वह कर सकता था।

• 1909 के एक्ट की सबसे बड़ी आलोचना विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा मुस्लिम समुदाय को भारतीय राष्ट्र के समेकन से पृथक करने की

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

साजिश की और "फूट डालो राज करो" की ब्रिटिश नीति ने अब आधिकारिक और संवैधानिक तरीके से भारत की सामाजिक एकता को खंडित करने का प्रयास किया, इस अधिनियम का उद्देश्य तो राज्य सचिव मार्ले के उस पत्र से स्पष्ट हो जाता है जिसमें उसने वायसराय मिंटो को लिखा था "हम भारत में ऐसा जहरीला बीज बो रहे हैं जिसका फल निश्चित ही विषैला होगा।

यह साम्प्रदायिक विभाजन केवल 1909 एक्ट के लिए नहीं बल्कि आने वाले प्रत्येक संवैधानिक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण बनगया। इसीलिए 1919 और 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा भी विशेष निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया इनकी छाप क्रिप्स मिशन और वेवेल प्लान में भी दिखाई दी।

वस्तुतः मोहम्मद इकबाल द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग या जिन्ना द्वारा धर्म आधारित राजनीति से द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जिस पाकिस्तान के निर्माण का प्रयास किया गया उसकी वास्तविक नींव तो 1909 के इस एक्ट ने विशेष साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के द्वारा रख दी थी। भारतीय इतिहास में यह अधिनियम सुधारों की दृष्टि से नहीं बल्कि बाँटने की दृष्टि से अधिक देखा जाना चाहिए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR